

1-7-21

पत्रावली पेशा दुर्ग / बकुमाय पक्षकार उपस्थित/P.O.
का राष्ट्रीय मार्ग से बाहर है / अवैधता पत्रावली गत
आवेदावुसार दिनांक 6-7-21 ... को पेश हों।

हस्ताक्षर शिखर

6-7-21 पत्रावली पेशा दुर्ग। उग्रम पक्ष नमिले उग्र
नमिले नमिले नमिले नमिले नमिले नमिले नमिले
दि 6-4-21 उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष 7 नमिले प
का उग्रम पक्ष के नमिले पक्ष के नमिले पक्ष
नमिले पक्ष के नमिले पक्ष के नमिले पक्ष
उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष
उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष
उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष
दि: 23-7-21 को पेश है।

हस्ताक्षर
उग्रम पक्ष उग्रम पक्ष
उग्रम पक्ष

29-7-21. पत्रावली पेशा दुर्ग। वकीलवादी में बादा 0, 1, 2 के
प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली
नमिले गया साथ ही वकील उग्रम पक्ष को नमिले
दीया। उग्रम पक्ष को हुआ गया। वकीलवादी
के बताया कि उग्रम पक्ष के खसप को 27, 28, 29
व उन कुल रकम 7.04 बीघा में ले वादी गण
की वादी व पितर ने 3.12 बीघा उग्रम पक्ष को
को बखशीत कर दी है उग्रम पक्ष किरातली पक्ष का
बखशीत गण रकम घोषित करे। प्रतिवादी गणों के
वकील के बताया कि प्रतिवादी गण 1. व 2 खसप पर
हैं तथा अपने हिस्से तक की रकम का बखशीत
गण सम्पादित कर सकते हैं साथ ही बखशीत
गण की प्रमाणिकता सिविल न्यायालय का
सर्वेक्षण है तथा माननीय सहायक कलेक्टर

हस्ताक्षर

सीमलवाड़ा का सेवाधिकार नहीं है। संपूर्ण वाड्डूरी
 कप ले बख्शीसनादा के आधार पर लाना गया है
 जो विधि विरुद्ध है। म्यो कि प्रतिपत्तिगण 10 2
 के पत्र की सम्पाति का बख्शीसनादा किया गया है
 तथा बख्शीसनादा की सम्पूर्ण क्षति का नहीं बख्शीस
 रहिले तब किया गया है। प्रवावली के कृतीपर बख्शीस
 नादा हलोन नहीं है। संपूर्ण वाड्डूरीगण किनाकृतक
 कप के न्यायालय का सदन बरिड का रहे है कत,
 फुड लगाकर वाड्डूरी पर बख्शीसनादाके तथा प्राधिकरण
 सेवा स्वीकार किया जाई।

उपर्युक्त बहद तथा प्रवावली के कपलेकन
 से स्पष्ट है कि प्रतिपत्तिगण द्वारा किया गया
 बख्शीसनादा उनके हिससे से अधिक नहीं है तथा
 संपूर्ण यह सिविल न्यायालय का सेवाधिकार
 है कत; कर्मा का प्रतीना पर स्वीकार किया जाकि
 वाड्डूरी विधि विरुद्ध होने से खरीज किया जात है
 डीप्रीपत्ति जारी होकर प्रवावली के हल मुफ्त होकर
 कम्प के कप ले सिविल दस्त हो।


 उपर्युक्त अधिकारी
 सीमलवाड़ा

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूंगरपूर राजस्थान ::

-: डिग्री पर्चा :-

पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार

श्री रामेश्वर बनाम श्री मोहन

दावा बाबत खातेदारी

प्रकरण सख्या:- 135/18

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार एवं प्रतिवादी की ओर से नरेश जोशी, श्रवण रावल एडवोकेट पेश हुये। वाद में ऑर्डर 07 रूल्स 11 जा.दी. का प्रार्थना-पत्र स्वीकार होने से वाद, वादीगण खारीज किया जाता है।

यह आज दिनाक 29/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद के लिए स्टाम्प	1 स्टाम्प वकालतनामा
2 स्टाम्प वकालतनामा	2 स्टाम्प अरजी के लिए
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	3. महनताना वकील
4 महनताना वकील	4 खचो गवाहन
5. खर्चा गवाहान	5 आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	6 कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
योग	




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा